



# मध्यप्रदेश राजपाल

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 158 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 अप्रैल 2020—वैशाख 4, शक 1942

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 23 मार्च, 2020 (चैत्र 3, 1942)

क्र. 4923-मप्रविस-15-विधान-2020.—मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972) की धारा 9 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचना एतद्वारा प्रकाशित की जाती है:—

### अधिसूचना

“श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2020 को मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दिये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश विधान सभा में उक्त तिथि से अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है.”.

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.